रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1970/ज्येष्ठ 9, 1892

No. 200] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1970/JYAISTHA 9, 1892

इस भाग में जिस पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May 1970

S.O. 1980.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Central India Commercial Exchange Limited, Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 2nd June, 1970 to the 1st June, 1971, both days inclusive, in respect of forward contracts in linseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(7)-IT/70]

R. K. TALWAR, Jt Secy.

औद्योगिक, विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1970

का० आ० 1980.—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिए दी सेन्ट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लिमिटेड, ग्वालियर, द्वारा आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलसी के अग्रिम संविदाओं की बाबत उक्त एक्सचेंज को और आगे एक वर्ष की कालावधि के लिए 2 जून, 1970 से 1 जून, 1971 तक, जिस में ये दोनों दिन सम्मिलित हैं एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा दी गई मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिये जाएं।

[सं० फा० 12(7)–आई०टी०/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970